रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255925 SG-DL-E-31072024-255925

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 121

[N. C. T. D. No. 121

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

फा. सं. 1/31/1145/एलसी/स्था0/मर्ती नियम/एलएचटी/2023/2297.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं०जी०एस०आर० 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 12.06.1968 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा श्रम विभाग, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मिहला हस्तकला अध्यापक के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-
 - (i) इन नियमों को ''महिला हस्तकला अध्यापक'' भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
 - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4667 DG/2024 (1)

- 4. अयोग्यता :--वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

भार्त यह है कि यदि सरकार संतुश्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव :— इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

	अनुसूच।					
1.	पदनाम	:	महिला हस्तकला अध्यापक			
2.	पदों की संख्या	:	06* (2023)			
			* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर			
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय,			
4.	वेतन मैद्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—4 (रुपये 25500—81100 / —)			
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं			
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं			
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं			
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं			
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं			
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा			
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	:	प्रतिनियुक्ति : 1. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार, केन्द्र भासित प्रदेशों के अधिकारी :— (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—03 (रुपये 21700—69100) में नियमित आधार पर पद की नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई 5 वर्शों की सेवा सहित; तथा (ख) निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले — अनिवार्य : 1.किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कटिंग,टेलरिंग एवं कढ़ाई के शिल्प में डिप्लोमा सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण			

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।		(प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित हैं, यह सामान्यतः 03 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।) लागू नहीं
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, विजय चांदना, उप श्रम आयुक्त (प्रशा.)

LABOUR DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2024

No. F.1/31/1145/LC/Estt./Rectt.Rules/LHT/2023/2297.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. G.S. R. 840 dated 13th July, 1959, and in supersession of Notification dated 12.06.1968 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Lady Handicraft Teacher** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:

- i) These rules may be called the "Lady Handicraft Teacher" Recruitment Rules, 2024.
- ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of Posts, Classification and level of Pay in the Pay Matrix: The number of the said posts, their classification and the level of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.:** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.
- 4. Disqualifications: No person,
 - a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax**: Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.
- **6. Saving**: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of post	Lady Handicraft Teacher
2	No. of Posts	06* (2023) * Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
4	Pay band and Grade Pay/Scale	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix
5	Whether selection post or non- selection	Not Applicable
6	Age limit for direct recruit	Not Applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Deputation
11	In case of recruitment by promotion/deputation / transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Deputation: Officers of the Central Government, State Government, Union territories: a) i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre department; or ii) With 5 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-03 (Rs 21700-69100) of pay matrix in the parent cadre or department; and b) Possessing following qualifications and experience: Essentials: 1. 12 th pass from a recognized Board/ Institution with Diploma in craft of Cutting, Tailoring & Embroidery from a recognized Institution. (Period of Deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or another organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)
12	If a DPC, exists, what is its composition	Not Applicable
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
Of the National Capital Territory of Delhi,
VIJAY CHANDNA, Dy. Labour Commissioner (Admn.)